गोण्डा पुलिस

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

सरकार द्वारा महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिये गठित एण्टी रोमियो स्क्वाड /Squad को और भी प्रभावी बनाने हेतु आपके बहुमूल्य सुझाव ।

एण्टी रोमियो फीडबैक फार्म

दिनांक .....

कक्षा	स्कूल या कालेज का नाम

ऐसे स्थान (पार्क, चौराहा, नुक्कड, गली बाजार, बस/बस स्टैण्ड आदि) एवं वह समय जहाँ पर आपको एण्टी रोमियो स्क्वाड /Squad की सक्रियता की आवश्यकता ज्यादा महसूस होती है।

सुझाव	

मातृशक्ति को सम्बल

प्रदेश में 44,177 महिला पुलिस कर्मियों की नियुक्ति कर महिलाओं की सहजता और विश्वास को बढ़ाया गया।

- **महिला श्रमबल भागीदारी :** 2017 के 13.5% से बढ़कर 2024 में 34.5% (+21 प्रतिशत प्वाइंट)।
- **महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक :** महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का देश का पहला डेटा-आधारित मॉनिटरिंग टूल।
- बालिकाओं को स्नातक स्तर तक **निःशुल्क** शिक्षा।
- **1.75 लाख** से अधिक महिलाओं को सरकारी नौकरी।
- **मुख्यमंत्री आवास योजना** में 3.73 लाख लक्ष्य में से 3.51 लाख पूर्ण। नई लाभार्थी श्रेणियाँ: दिव्यांग व 18–40 वर्ष की निराश्रित महिलाएँ।
- उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली मेधावी बालिकाओं के लिए रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना की घोषणा।

आईटीएसएसओ (इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेज) पोर्टल के अनुसार 98.80% निस्तारण दर के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।

- 07 जनपद (वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, कानपुर नगर, झांसी, आगरा, गोरखपुर) में पुण्यश्लोका माता अहिल्याबाई होल्कर जी के नाम पर श्रमजीवी हास्टल।
- **2 लाख** से अधिक महिलाएं **पी.एम. स्वनिधि योजना** से लाभान्वित।
- अल्पसंख्यक मुस्लिम महिलाओं को बिना महरम हज पर जाने की सुविधा।
- **उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन** के अन्तर्गत 873534 समूहों, 57482 ग्राम संगठनों एवं 3137 संकुल स्तरीय संघों का गठन करते हुए ग्रामीण क्षेत्र की 95 लाख से अधिक महिलाओं को जोड़ा गया।
- महिला स्वयं सहायता समूहों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत 2510 उचित मूल्य की दुकानों का आवंटन किया गया।
- लखपति महिला योजना के अन्तर्गत 31 लाख से अधिक दीदियों क़ा चिन्हांकन। 2 लाख से अधिक महिलाएं लखपति की श्रेणी में।
- पौत्री (पुत्र की पुत्री), भतीजी (सगे भाई की पुत्री) और भांजियों (सगी बहन की पुत्री) को भी राजस्व संहिता में भौमिक अधिकार।

नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वीमेन इन पुलिस में उत्तर प्रदेश के मॉडल 'महिला हेल्पलाइन 1090 और मिशन शक्ति' को अन्य राज्यों में लागू करने का प्रस्ताव पारित।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश
UPGovtOfficial CMOUttarpradesh CMOfficeUP

मुद्रक : गॉस्पेल प्रेस, लखनऊ

1090 Women Power Line

सशक्त नारी समृद्ध प्रदेश

शक्ति पर्व शारदीय नवरात्र

नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए समर्पि

मिशन शक्ति

नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

5वां चरण

(22 सितंबर-24 दिसंबर, 2025)

"नारी शक्ति राष्ट्र शक्ति है। उत्तर प्रदेश ने यह ठान लिया है कि अब कोई बेटी अपने सप को अधूरा नहीं छोड़ेगी। सुरक्षा, सम्मान और स्वावलम्बन की त्रयी ही सशक्त सम और समृद्ध राष्ट्र का आधार बनेगी। मिशन शक्ति, महिला बीट प्रणाली और सेफ सि जैसी पहलें हमारी उस दूरदृष्टि का प्रतीक हैं, जिसमें नारी शक्ति को राष्ट्र निर्माण सबसे बड़ी धुरी माना गया है। हम एक ऐसा उत्तर प्रदेश बना रहे हैं, जहाँ हर बेटी–हर मा सुरक्षित हो, आत्मनिर्भर हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने।"

— योगी आदित्यना
मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदे

सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास-सबका प्रया

मिशन शक्ति केन्द्र

- सभी 1,647 थानों में महिलाओं की सुरक्षा, सहयोग एवं संरक्षण हेतु समर्पित मिशन शक्ति केंद्रों की स्थापना
- शक्ति केंद्रों के माध्यम से प्रार्थना पत्र प्राप्त करने से सम्पूर्ण विधिक कार्यवाही तक पीड़ित महिला की सहायता
- विभिन्न विभागों की मदद एवं प्रशिक्षित पुलिस कार्मिकों द्वारा पीड़ित महिला का मानसिक एवं सामाजिक पुनर्वास

महिला हेल्प डेस्क

- थाने पर पर आने वाली महिलाओं की शिकायतों को संवेदनशीलता के साथ सुनकर उसका त्वरित व सम्यक निस्तारण महिला हेल्प डेस्क द्वारा कराया जाता है। जिसका उद्देश्य महिलाओं के लिए पुलिस थानों को वीमेन फ्रेण्डली, सहज, अनुकूल और पहुँच योग्य बनाना है। इससे थाने पर आने वाली महिलाओं को इधर उधर भटकना नहीं पड़ता।
- प्रदेश के 1647 थानों में स्थापित महिला हेल्प डेस्क पर विगत वर्ष कुल 6,48,664 शिकायतें प्राप्त हुईं इनमें से 6,47,095 शिकायतों का निस्तारण किया गया। इसी प्रकार महिला हेल्प डेस्क के माध्यम से कुल 22,031 अभियोग पंजीकृत किये गये, जिनमें कुल 10,274 अभियोगों में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

महिला बीट व महिला बीट पुलिस अधिकारी

- सभी 1,647 थानों में 9,172 महिला पुलिस बीट का गठन
- नवगठित बीटों में 19,839 महिला पुलिस अधिकारी नियुक्त
- बीट अधिकारी द्वारा ग्रामीण महिलाओं के द्वार पुलिसिंग सेवा

महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकी परामर्श केन्द्र

- सभी जिलों की दूरस्थ तहसीलों में 78 महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकी परामर्श केंद्र/महिला थानों का गठन
- महिला संबंधी अपराधों एवं घरेलू हिंसा के मामलों में स्थानीय स्तर शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था
- महिलाओं की शिकायतों, दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा एवं तीन तला प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण

मिशन शक्ति कक्ष

- समस्त 57,695 ग्राम पंचायतों में मिशन शक्ति कक्ष की स्थापना
- स्वयंसेवी संस्थाओं, आशा बहू एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों में समन्वय
- अधिकारों एवं कल्याणकारी योजनाओं पर जागरुकता कार्यक्रम

एण्टी रोमियो स्क्वाड

- सार्वजनिक स्थलों जैसे-चौराहों, बाजारों, माल्स, पार्क, स्कूल, कालेज कोचिंग संस्थान व अन्य स्थलों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेड़खानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन एवं टिप्पणियों की घटनाओं को रोकना एण्टी रोमियो स्क्वाड द्वारा किया जाता है।

महिला अपराधों पर त्वरित कार्यवाही

- प्रभावी अभियोजन से 9,513 वादों में 12,271 अभियुक्तों पर दोष तय
- 12 अपराधियों को मृत्युदंड एवं 987 अपराधियों को आजीवन कारावास
- 3,455 अपराधियों को 10 वर्ष से अधिक एवं 7,817 को 10 वर्ष से कम सजा
- 1,647 हेल्प डेस्क पर आई 6,48,664 शिकायतों में से 6,47,095 का निदान
- पंजीकृत 22,031 अभियोगों में 10,274 अभियोगों में आरोप पत्र प्रेषित
- महिला हेल्पलाइन-1090 सेवा पर आईं 99.07% शिकायतों का निस्तारण
- एंटी रोमियो स्कॉयड द्वारा 1,18,34,805 स्थानों पर 4,52,41,933 लोगों की चेकिंग
- पंजीकृत 24,871 अभियोगों में 33,268 की गिरफ्तारी, 1,64,75,574 को चेतावनी

वीमेन पावर लाइन-1090

- 24×7 कॉल सेंटर, जहां महिलाएं/लड़कियां पीछा का करना, फोन पर परेशान करना, घरेलू हिंसा, साइबर उत्पीड़न, ब्लैकमेल आदि की शिकायत कर सकती हैं। पीड़िता की पहचान गोपनीय रखी जाती है।
- पुलिस कॉल कर अभद्र व्यक्तियों को चेतावनी/परामर्श देती है, अनसुना करने वालों पर विधिक कार्रवाई होती है।
- आकस्मिक मामलों को तुरंत 112 पर ट्रांसफर कर त्वरित मदद उपलब्ध कराई जाती है।
- समस्या के समाधान तक फीडबैक व संपर्क बनाए रखा जाता है।
- 01.01.2024 से 31.08.2025 तक 7.75 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज, 98.80% का निस्तारण।

ऑनलाइन फेमिली काउन्सलिंग

- **घर बैठे समाधान** : महिलाओं को थाने जाने की आवश्यकता नहीं।
- **विशेषज्ञ काउंसलिंग :** घरेलू विवाद, हिंसा व आत्महत्या रोकथाम में मदद।
- जनवरी 2024 से अगस्त 2025 तक कुल **10,102** शिकायतें दर्ज, **9,760** मामलों का समाधान।

महिला साइबर सेल

- सभी जनपद मुख्यालयों पर कार्यरत पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत महिला साइबर सेल का गठन किया गया है।
- महिला साइबर सेल, इन्टरनेट तथा अन्य सोशल मीडिया ऐप पर साइबर स्टॉकिंग एवं साइबर बुलिंग की शिकायतों पर त्वरित व प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना

- बालिकाओं को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए **मुख्यमंत्री कन्या सुमं योजना** शुरू की गयी है। प्रारम्भ में इसके अंतर्गत बालिकाओं को 15,000 रुपये आर्थिक सहायता छह चरणों में प्रदान की जाती थी। **अब प्रदेश सरकार ने सहायता राशि 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया है।**

बेटियाँ हैं देश की शा
उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य का रखें पूरा ध्यान

योजना की श्रेणियां तथा धनराशि

प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी	पंचम श्रेणी	षष्टम श्रेणी
बालिका के जन्म होने पर ₹ 5000/-	एक वर्ष तक के पूर्ण टीकाकरण पर ₹ 2000/-	कक्षा-1 में प्रवेश पर ₹ 3000/-	कक्षा-6 में प्रवेश पर ₹ 3000/-	कक्षा-9 में प्रवेश पर ₹ 5000/-	10वीं/12वीं उत्तीर्ण स्नातक/2 वर्षीय अधिक अवधि के डिप्लोमा कोर्स में प्रवे ₹ 7000/-

योजना की पात्रता हेतु अर्हताएं

- **उत्तर प्रदेश का स्थायी निवास प्रमाण पत्र**
- **परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख रुपये**

आवेदन की प्रक्रिया

- बालिका स्वयं (यदि वयस्क हो), माता / पिता या अभिभावक आवेदक हो सक
- **ऑनलाइन आवेदन -** कॉमन सर्विस केन्द्रों / स्वयं के स्मार्ट फोन या कम्प्यूटर से https://mksy.up.gov.in लॉगिन करके आवेदन करें अथवा अपने जन जिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

इस योजना में अब तक 25.96 लाख बेटियां लाभान्वित

निराश्रित महिला पेंशन योजना

- पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत पात्र नि महिला को प्रति लाभार्थी 1,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।

पेंशन के लिए पात्रता

- आवेदिका उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी हो।
- आवेदिका के पति की मृत्यु हो गयी हो। आवेदिका की आयु 18 वर्ष से कम न
- वार्षिक आय समस्त स्रोतों से 2 लाख रुपये से अधिक न हो।
- राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य योजना से पेंशन प्राप्त न हो रही हो।
- sspy-up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा।

योजना के अन्तर्गत अब तक 36.75 लाख महिलाएं लाभा

नारी शक्ति वंदन अधिनियम

- तीन दशकों से लम्बित महिला आरक्षण बिल अंतत: **नारी शक्ति वंदन अधिनियम** के सुखद स्वरूप में दिनांक 21 सितम्बर, 2023 को भारतीय संसद से पारित हो गया। अब यह कानून बन चुका है। 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई सीटों पर आरक्षण प्रदान किया जायेगा। लोकसभा और विधानसभाओं की 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी।

बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी

- जनकल्याणकारी योजनाओं के संबंध में ग्रामवासियों को प्रोत्साहित एवं लाभान्वित करने हेतु प्रदेश की सभी 57,000 ग्राम पंचायतों में विभिन्न बैंकों के माध्यम से बी.सी. सखी को पदस्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है।
- बी.सी. सखी को प्रति माह 4,000 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। अच्छा काम करने पर प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जा रही है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है।
- ग्राम स्तर पर डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहित करने हेतु बी.सी. सखी योजना के अंतर्गत लगभग 49,376 बी.सी. सखी का प्रमाणीकरण पूर्ण किया गया, जिनमें लगभग 40 हजार महिला बीसी सखियों ने सरकार के साथ कार्य करते हुए 100 करोड़ से अधिक का लाभांश अर्जित किया।

रानी लक्ष्मीबाई बाल एवं महिला सम्मान कोष

- जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं/बालिकाओं को आर्थिक सहायता हेतु इस कोष की स्थापना की गयी है। इसके अन्तर्गत अब तक **7,105 महिलाओं/बालिकाओं** को क्षतिपूर्ति धनराशि प्रदान की गयी।

महिला रात्रि एस्कॉर्ट सुरक्षा योजना
रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सहायता हेतु कॉल किए जाने पर यूपी-112 द्वारा महिला को एस्कॉर्ट कर सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था

बदायूं, लखनऊ और गोरखपुर में महिला पी.ए.सी. बटालियन का गठन

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना

- निर्धन परिवारों की बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक संचालित है। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पस अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ ही सामान्य वर्ग के निर्धन परिवार भी आवेदन क हैं। योजना का लाभ विधवा और तलाकशुदा भी उठा सकती हैं।

पात्रता

- परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 3.00 लाख रुपये हो। लड़की की वर्ष एवं लड़के की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

अनुदान राशि

- एक जोड़े के विवाह पर कुल रु0 1,00,000/- की धनराशि की व्यव कन्या के खाते में रु. 60,000/- की धनराशि, विवाह संस्कार के लिए अ सामग्री जैसे- कपड़े, बिछिया, पायल, बर्तन आदि रु. 25,000/- की ध क्रय करते हुए प्रदान किया जाता है तथा विवाह आयोजन पर रु. 15,0 धनराशि व्यय किये जाने की व्यवस्था है।

आवेदन प्रक्रिया

- वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in से आवेदन फॉर्म डाउनलोड क को ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद/नगर निगम अथ मुख्यालय पर जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा कर

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत अब तक कुल 4.67 लाख जोड़ों का विवाह

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

- योजना के तहत जननी और उसके बच्चे की देखभाल के लिए 6,000 आर्थिक सहायता दी जाती है। पहले चरण में 1,000 रुपये, दूसरे चरण रुपये और तीसरे चरण में 2,000 रुपये गर्भवती महिलाओं को दिए ज 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता तब मिलती है, जब गर्भवती महिल किसी अस्पताल में जन्म देती हो या जननी सुरक्षा योजना की लाभार्थी ह

आवेदन प्रक्रिया

- लाभार्थी को https://pmmvy.nic.in पर लॉगिन करके आवेदन क

इस योजना से अब तक 60 लाख माताएं लाभान्वि

- **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना :** प्रदेश में **1.86 करोड़ परिवारों** को मुफ्त गै दिया जा चुका है। **होली व दीपावली में निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर।**
- **प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना (घरौनी):** योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के अपनी जमीन का मलिकाना हक़ दिया जा रहा है। मलिकाना हक़ **महिला सदस्य** के नाम अंकित किया जा रहा है। अब तक 1.10 करोड़ को स्वामित्व प्रमाण पत्र प्रदान किया जा चुका है।